भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 344
दिनांक 04 फरवरी, 2025/ 15 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस स्टेशनों को सीसीटीएनएस से जोड़ना

†344. श्री वी.के. श्रीकंदनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में सभी 17,130 पुलिस स्टेशन केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्राइम एंड क्रीमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) से जुड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सीसीटीएनएस की पहल से देश में अपराधों को कम करने में सहायता मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख): हां, दिसंबर 2024 तक, देश भर के सभी 17,166 पुलिस स्टेशन अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) से जुड़े हुए हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं।

(ग) और (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा और अपराध और अपराधियों की जांच और अभियोजन की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों के पास है। राज्य सरकारें मौजूदा कानूनों के प्रावधानों के तहत अपराधों से निपटने में सक्षम हैं। हालाँकि, सीसीटीएनएस कानून प्रवर्तन अधिकारियों को अपराध और अपराधियों से संबंधित डेटा एकत्र करने, अपडेट करने और उसका विश्लेषण करने में सहायता करता है। यह राज्य और केंद्रीय पुलिस संगठनों को निम्नलिखित लाभ भी प्रदान करता है:-

- पुलिस प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण (शिकायतें, एफआईआर, जांच विवरण, आरोप पत्र, न्यायालय निपटान और अपील, चालान/रजिस्टर)

लोक सभा अता.प्र.सं. 344 दिनांक 04.02.2025

- अपराध और अपराधियों के राष्ट्रीय/राज्य डेटाबेस पर खोज
- प्रभावी न्याय वितरण के लिए पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसियों, न्यायालयों, जेल, फोरेंसिक और अभियोजन के बीच डेटा साझा करने में सक्षम बनाना

******